न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 251/2016

आरसीएमएस नं. 2016/00195

प्रेमसुख पुत्र हरचन्द जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा

—अपीलांट

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र हरचन्द जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा।
2. झमनलाल पुत्र हरचन्द जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा।
3. धर्मपाल पुत्र अमीलाल जाति स्वामी निवासी नुवां तहसील भादरा।
4. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, भादरा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2015
द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्रकरण संख्या 34/2015 अनवान महावीर प्रसाद बनाम प्रेमसुख

उपस्थितिः—

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री कुलदीप सिंह खुड़िया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 6

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 23.02.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में तहसील भादरा गांव नुंवा के खाता सं0 158/149 खसरा नं. 1/2 की 12.3940 है0, खसरा नं. 318/ की 16.0610 है0 कुल खसरा 2 क्षेत्रफल 28.4550 है0 बारानी कृषि भूमि का खाता विभाजन करने कर अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वाद स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

...कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा बिना किसी सुनवाई के एक पक्षीय तौर से नैसर्गिक
न्याय के विरुद्ध तथा गैर कानूनी ...

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत ने कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन नहीं किया तथा अपीलाण्ट की आपत्ति को सुना नही गया। अपीलाण्ट का वाद भूमि में अपने हिस्से की भूमि से ट्यूबेल व एक कोठा स्थापित था तथा उक्त ढाणी व कुआ जो अपीलाण्ट के वाद भूमि में अपने बंटवारे में आई भूमि में स्थापित था तथा अन्य पक्षकारों को दे दिया जिससे अपीलाण्ट को लाखों का नुकसान हुआ है इसलिए विभाजन सदभावी नहीं है। मातहत अदालत ने तनकीयात भी विरचित नहीं की ना ही तनकी पर कोई निर्णय दिया। अपीलाटं व रेस्पोडेण्ट का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका था अलग अलग कब्जा काश्त थी। अपीलाण्ट को कोई नोटिस तामील नही हुआ तथा पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में ले जाकर बिना किसी सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने तामील लेने से इंकार करने की आर्डर शीट लिखकर वाद को डिक्री किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नही हो सका ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2021 (4) सीसीसी पेज 615 एससी, 2019 आरबीजे पेज 123, 2019 (1) आरआरटी पेज 628 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति थी। पत्रावली कैम्प कोर्ट डुंगराना में रखी गई थी, जिसके लिए अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया था अपीलाण्ट के उपस्थित नही आने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का पूर्व से ही ज्ञान था। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रश्नगत भूमि के खाता विभाजन का वाद पेश किया था। जिसमें लोक अदालत कैम्पकोर्ट ग्राम कणाउ में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

गया किया वाद भूमि अच्दी मन्दी के हिसाब से रास्ता दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करे। तहसीलदार से दिनांक 18.06.2015 को विभाजन प्रस्ताव आने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 25.06.2015 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति करते हुए दोनों पक्षों की मौजूदगी में सही तरीके से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने अनुरोध किया। इस प्रार्थना–पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है। प्रकरण में आपत्ति होने के बावजूद कोई तनकी कायम नहीं की गई एवं बिना तनकी कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 विवादित भूमि के बाबत तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रस्ताव तैयार करवा कर एवं अपत्तियों के अनुसार तनकियात कायम कर तनकीवाईज निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner